[futh ilkj d fy,]

vd 30

UkbZfnYyh] vxLr 2012

Ykksd ify l

Ekkfld if=dk

Lkh-,p-vkj-vkb-

Tkurkf=d ifyl d fy,

^ifyl dfeZ;ksesl dkj dsfy, uhfr Lrj dsfu.kZ;ksdh vko';drk gS

श्री के.के. शर्मा

Ïpdyk vkj vckyk d ifyl dfe'uj Jh d-d- 'kek l mud dk;dky d nkjku vuHko fd; x; ifyflx d fofHkUu eík d ckj e mud fopkjk dh tkudkjh d fy, thur efyd }kjk mul fy, x, lk{kkRdkj d v'kA

सर, कृपया संक्षेप में अपने कार्यकाल तथा नियुक्तयों के बारे में संक्षिप्त जानकारी दें? साथ ही, यह भी बताएं कि पुलिस बल के एक अधिकारी के रूप में किसी सीमित दायित्व को पूरा करना किस प्रकार दो शहरों के पुलिस बल के नेतृत्व करने की ज़िम्मेदारी से किस प्रकार भिन्न है?

मैं ,d ouLifrK था tkfd fjlp djr g,] 1986 e Hkkjrh; ifyl lok e lfEefyr gk x;k vkj e> gfj;k.kk dMj fn;k x;kA ,l-ih- d :lk e 1990&99 e ukjuky] dFky] d:{k=] ikuhir vkj jkgrd ftyk e dk;Hkkj lHkkykA blds 92&94 dk le; itkc vkj bld ckMj d {k=k e] fo'k"kdj dFky vkj d:d{k= e vkrdokn icy FkkA fdlh Hkh vkrdh gey d ckn ifyl e turk dk fo'okl okil ykuk vkj ifyldfe;k d eukcy dk c<kuk lcl cMh pukrh gvk djrh FkhA ,sl e bVftyl ,df=r djuk lcl egRoi.k gkrk Fkk vkj bldk ey vk/kkj turk dk fo'okl thruk FkkA ;g cgn lrf"V inku dju okyk है fd ge turk d lg;kx l ;g सब dj ik;r FkA

bld vykok मैंने bLiDVj tujy vkQ ifyl d :i, e bLiDVj tujy vkQ ifyl ¼i'kklu½ rFkk nf{k.k jt tl egRoi.k पदों पर dk;Hkkj lHkkyk gA orieku e ipdyk o vckyk d dfe'uj d :i e dk;jr gWaI ,d 0;fDr dk viu

vf/kdkj {k= e vku oky fofHkUu ftyk d fy, viu y{; vkj edln dk fuf'pr djd ;g lfuf'pr djuk होता है fd ;fuV d lHkh [k.M lgfØ;rk vkj leUo; l dke dj rkfd fuf'pr y{; dk ikIr fd;k tk ldA nlj 'kCnk e] ;g ,d nh?k fu;kstu dk Lrj g tcfd vxj fdlh dk ,d fo'k"k dke fn;k tkrk g rk] ml doy fuEu fu;kstu djuk gkrk g rkfd edln dk dkuu d nk;j e jgr g, ijk fd;k tk ldA

'जाँच' करना 'कानून व्यवस्था' सम्भालने से बिल्कुल भिन्न है इसलिए जाँच में प्रचलित प्रक्रियाओं बल्कि प्रचलित गैर कानूनी तरीकों के बारे में अपने विचारों से अवगत करायें। क्या 'इन्हांस्ड इंवेस्टीगेशन टेक्नीक' या 'थर्ड डिग्री' का उपयोग सच्चाई का पता लगाने में कारगर सिद्ध होता है? क्या जाँच के दौरान इन तरीकों में निहित मानवधिकार के हनन को न्यायसंगत ठहराया जा सकता है?

bl e dkb lng ugh g fd 0;oLFkkxr oKkfud tkp rduhdk dk mi;kx vnkyr e tkp d lk{; d :i e cgn c< tkrт gA gkykfd] bl rF; l Hkh bdkj ugh fd;k tk ldrk fd Hkkjr e gekj ikl vif{kr Lrj ij ;g miyC/k ugh gA ge vkt Hkh mUufr'khy n'k g vkj ;gk lk/kuk dh leL;k gA fQj Hkh] ifyflग d fy, ctV dk fu;kstu dj ifyflx d bl igy dk okf{kr egRo fn;k tkuk pkfg, u fd bld [kPk dk vfu;kftr J.kh e j[kk tkना चाहि,A

lkFk gh] gekj ;gk tkp d Lrj e l/kkj d fy, rduhdh fo'k"kKrk dh vo/kkj.kk dk vc Hkh lLFkkxr fd;k tkuk ckdh gA tcfd] bl rduhdh fo'k"kKrk dh dkbl deh ugh gA tkp e ikय tku oky vkerkj ij lHkh idkj d njkpkj, Hk;vkj i{kikr d dkj.k g ;k fQj 0;fDrxr ykyp] vi;klr leFku ;k ifj.kke iku e 'kh?krk d dkj.k gkr gA tk Hkh gk] ekuokf/kdkj lEcU/kh eík dk utjvUnkt djuk fdlh Hkh :i e U;k;lxr ugh g D;kfd ifyl dh udkjkRed Nfo dk

e[; dkj.k ;g gh gA

पुलिसिंग के काम को योजनाबद्ध करते हुए प्राथमिकता किसे दी जाती है – 'कानून–व्यवस्था' कायम रखने को या फिर 'जाँच' के काम को? क्या आपके विचार में जाँचटीम और कानून–व्यवस्था बनाए रखने वाली पुलिस की टीम अलग होनी चाहिए?

fdlh Hkh {k= e dkuu&0;oLFkk dk;e j[kuk ge'kk gh tkp ij ikFkfedrk j[krk g doy ,lh ifjfLFkfr;k dk NkMdj tgk tkp u gku dh fLFkfr e ;k dkb lxkx u feyu dh fLFkfr d dkj.k dkuu&0;oLFkk e xMcMh d gkykr ink gk tk,A tc 'kkfr dk ekgky gkrk g rc tkp ikFkfedrk ij gkrh gA dkuu&0;oLFkk vkj tkp d fy, fuf'pr :i l vyx 'kk[kk, gkuh pkfg,A

क्या आपके विचार में आरोपी के मानवाधिकारों की सुरक्षा करना, शिकयतकर्त्ता के लिए न्याय प्राप्त करने में अड़चन पैदा करता है?

ejs fopkj e ;g ,d feFkd gA ykxk dk ,lk yxrk g tcfd ,lk g ugh A gkykfd vlekftd rRok d lkFk dBkj gku dk vufpr ugh le>k tkuk pkfg, u gh bl vkjkih d ekuokf/kdkjk dk guu le>uk pkfg,A

आपके विचार में क्या कानून में कोई कमी है जिस कारण पुलिसकर्मी सही लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कानून तोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं? पुलिसिंग की आंतरिक समस्याएं क्या हैं?

gk] ekuo }kjk cuk, x, dkuu vpd gk ,lk dHkh ugh gkrk g vkj blfy, ifjfLFkfr;k d vuqlkj blе yxkrkj l'kks/ku dh vko';drk gkrh g। dke ij yx fdlh ifyl vf/kdkjh d fy, fuEufyf[kr ifjfLFkfr;k cgn dfBu gkrh g%

- ,d ifyl vf/kdkjh d le{k dh xbl xukg dcyh vnkyr e ekU; ugh gkrh]
- tfVy vkj yEch ifØ;k,] e[; :ik l vijk/kk d ntl u gku d fy, rFkk yEc ednek

शेष भाग पृष्ठ 2 पर.....

cw>ks vkSj thr¨&8

प्रिय पाठकों,

ykd ifyl पत्रिका द्वारा आपके लिए इस रोचक प्रतिस्पर्धा की शुरुआत जनवरी 2012 से की गई थी। इसके अंतर्गत आपसे केवल 5 सवाल पूछे जाते हैं, जो आपके काम से सम्बन्धित होते हैं। सही जवाब भेजने वाले 2 विजेताओं को 500 रुपये पुरस्कार के रूप में डिमाण्ड ड्राफ्ट या चेक द्वारा भेजा जाता है और विजेताओं के नाम पत्रिका में प्रकाशित किये जाते हैं। अगर सही जवाब भेजने वाला कोई एक ही व्यक्ति है तो केवल उनका ही नाम प्रकाशित किया जाता है। आशा है आपलोग अधिक से अधिक संख्या में इसमें भाग लेते रहेंगे।

आपके सवाल निम्नलिखित हैं :–

1- बच्चों के बलात्कार केस में जाँच कितने दिनों में पूरी होनी चाहिए और यह अवधि किस प्रावधान के अंतर्गत तय की गई है?

2- क्या पुलिस किसी के घर की तलाशी, वारंट के बगैर ले सकती है?

3- क्या रास्ते में रोक कर पुलिस नाम व पता कभी भी पूछ सकती है? क्या इंकार करने पर पुलिस को गिरफ़्तारी करने का अधिकार भी है?

4- क्या किसी महिला को विवाह के लिए पैसे देकर खरीदना अपराध है? यदि 'हां' तो किस कानून के अंतर्गत।

5- अगर पहरेदार पुलिस उपलब्ध न हो तो क्या किसी विचाराधीन कैदी को शारीरिक रूप से अदालत में प्रस्तुत किये बगैर मुकदमे की सुनवाई हो सकती है? क्या मुकदमे की प्रत्येक तारीख पर आरोपी का अदालत में मौजूद होना आवश्यक है?

बूझो और जीतो – 5 का परिणाम

मई 2012 अंक का परिणाम इस अंक में प्रकाशित किया जा रहा है। इसमें पूछे गए प्रश्नों के उत्तर और विजेता का नाम निम्नलिखित है।

1- दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 के अंतर्गत पुलिस को जाँच के दौरान दिये गये बयान पर हस्ताक्षर करना आवश्यक नहीं है।

2- दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 2¼ठ½ व धारा 41¼2½ के अंतर्गत पुलिस असंज्ञय अपराध में वारंट के बगैर गिरफ़्तारी नहीं कर सकती है।

3- हाँ, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 43 के अंतर्गत कोई आम आदमी अगर किसी व्यक्ति को कोई संज्ञय व अजमानती अपराध करते हुए देखे या वह कोई उद्घोषित अपराधी को देखे तो उसकी गिरफ़्तारी कर सकता है।

4- हाँ, चार्जशीट व अंतिम रिपोर्ट एक ही दस्तावेज़ का कहा जाता है। यह दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अंतर्गत पुलिस द्वारा प्राथमिक जाँच के आधार पर दायर की जाती है।

5- किसी व्यक्ति की गिरफ़्तारी के समय पुलिस अधिकारी द्वारा एक पर्चा भरा जाता है जिसे 'अरेस्ट मेमो' कहा जाता है। इसमें गिरफ़्तार किये जाने वाले व्यक्ति का नाम, पता, अपराध जिसके लिए वह आरोपी है, स्थान, समय और तारीख़ लिखा होना चाहिए। इस पर आरोपी के किसी रिश्तेदार या गिरफ़्तारी के स्थान से किसी भी आदरणीय व्यक्ति, पुलिस अफसर तथा स्वंय आरोपी का हस्ताक्षर होना चाहिए। यह डी.के.बासू के केस में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिऐ गये निर्देशों तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41¼2½ के अंतर्गत आरोपी को दिया गया अधिकार है।

विजेता

1- श्री महेन्द्र कुमार पीपलीवाल, ए.पी.पी., राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर, राजस्थान।

नोट : विजेता को अगस्त के अंतिम सप्ताह तक चेक या डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा पुरस्कार की राशी भेज दी जाएगी। जिन्होंने अपना पता मेल में नहीं लिखा है, हमें अपना पता शीघ्र भेजें।

अपने जवाब हमें डाक द्वारा प्रेषित करें या ईमेल करें–

जीनत मलिक
प्रधान सम्पादक, y¨d ifyl
कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव
बी&117, दूसरा तल, सर्वोदय एनक्लेव, नई दिल्ली 110017, भारत
फोन : $91&011&43180200] 43180225&299
फैक्स : $91&011&26864688
ई–मेल: zeenatmalick@gmail.com
वेबसाईट: http://www.humanrightsinitiative.org

vkRefodkl

pfyl dk;Z u doy tfVy ifØfr dk gS cfYd ;g 'kkjhfjd o ekufld :i ls Fkdk nsus okyk tkf[ke Hkjk gSA blds fy, ifyl deh dk 'kjhj o ekufld nkuks ls LoLFk jguk t:jh gSA mi;Dr [kkuiku] 0;k;ke] vkjke ,o LoLFk euksjatu ls bls gkfly fd;k tk ldrk gSA bl gsrq fuEu ckrks ij /;ku nsuk t:jh gS&

¼1½ ifyl dk;Z esa vDlj vfu;fer oDr ij M;Vh jgrh gS, ftlesa cktkj dh ryh&Hkquh oLrq, tSls leksls] feBkbZ vkfn [kkus rFkk vR;f/kd pk;@dkQh ihus dh izo`fRr jgrh gS tks olk vkSj phuh ds dkj.k 'kjhj ds fy, gkfudkjd gksrs gSA ,sls volj ij puk] ewaxQyh] Qy vkfn ysus pkfg,A

¼2½ fu;fer [kkus esa Hkh MkyMk dh txg ljlks ;k lk;kchu dk rsy mi;ksxh gSA

¼3½ pk;] B.Ms is; vkfn ds LFkku ij 'kqº ty dgh vPNk gSA jkt 6&8 fxykl ikuh dk lsou ykHknk;d crk;k tkrk gSA

¼4½ olk jfgr n/k] eV~Bk] ngh dk fu;fer lsou LoLFk gsrq;Ÿ ds fy, dyf'k;e miyC/k djkrk gSA

¼5½ FkkMk&FkkMk Hkkstu vud ckj djuk vf/kd LoLF;dj gSA

¼6½ ued vkSj phuh dk de ls de iz;ksx djuk pkfg,A

¼7½ 0;k;ke ifjJe[k :i ls rhu idkj ds gksrs gSa& jDr lpkj c<kus okys] rkdr c<kus okys rFkk yphykiu (Flexibility) c<kus okysA rhuks gh vPNs LokLF; ds fy, t:jh gSA

¼8½ jDr lapkj c<kus okys 0;k;ke gS& rst pyuk] nkSMuk ¼/khes xfr ls ;k rst½ rSjuk vkfnA bues lkbl Qyu yxrh gSA QVckWy] gkdh] cklkdVckWy] cSMfeaVu] Vfuls Hkh blh Js.kh esa vkrs gSA e[; cfr gS gkFk iSjks dk lapkyuA ,sls 0;k;ke ifrfnu de ls de 40&50 feuV rd fd;s tkus pkfg,] ;k 15&15 feuV ds rhu Hkkxks esA ,d gh LFkku ij dnerky ;k tkWfxx ls Hkh i;kIr ykHk fey ldrk gSA

¼9½ rkdr c<kus ds 0;k;keks esa lcls vklku vkSj lqyHk n.M o cSBd gSA oV fyfQVx] Mcy] ;k fte e'khuks es Hkh rkdr c<kus okys 0;k;ke gksrs gSA bus ekalisf'k;ksa rks etcwr gksrh gh gS] gfMM;ksa dk Hkh {kj.k gksus ls cprk gSA bUgs rhu Hkkxks esa 20&20 ckj djuk pkfg,] ;k tc rd ekalisf'k;ka Fkd u tk;A

¼10½ yphykiu ds fy, ;kxklu] ihOVh0 'kjhj ds fofHkUu vxks dk Stretch djuk vkfn gSA

¼11½ Hkkstu ds rqjUr ckn dk NkM+r gq, 0;k;ke dHkh Hkh fd;k tk ldrk gSA

¼12½ ekufld LokLF; ds fy, lcls vko';d gS thou ds ifr ldkjkRed nf"Vdks.kA chrh ckrks ij le; xokus ds ctk; vkxs dh lkspuk blds ,d e[; Hkkx gSA

¼13½ ifyl dk;Z esa lekt ds fofHkUu oxksZ ls eyk&tqyk dk vPNk ekSdk jgrk gS] blds Qk;nk mBkdj lkekftd :i ls lfØ; jguk pkfg,A blls u doy ekufld o HkkoukRed LokLF; vfrq gkxk] cfYd ifyl dk;Z esa Hkh blls enn feyxhA

¼14½ i<uk] fy[kuk vkSj euu djuk efLr"d ds fy, mruk gh t:jh gS ftruk 0;k;ke 'kjhj ds fy,A

¼15½ [ky dn es Hkkx yus ls eu vkSj 'kjhj nksuks dks ykHk igqprk gSA

¼16½ viuk LokLF; dh n'kk bu lwpdkas ls igpku ldrs gS&

¼v½ otu 60&65 fdxk0

¼c½ dej 40 bap ls de

¼17½ ekVkik vud chekfj;ks dh tM gSA mi;Dr Hkkstu vkSj 0;k;ke ls bls de fd;k tk ldrk gSA

¼18½ ok"kd efMdy ijh{k.k] fo'ks"k :i ls CyMi'kj] CyM'kxj] dksysLVky rFkk u= ijh{k.k ls vud chekfj;ks dk irk yx ldrk gSA

¼19½ rEckdw fdlh Hkh :i esa 'kjhj dk Hkkjh udlku igqpkrk gSA blds yr NksMuk vR;r dfBu gSA

¼20½ 'kjkc dk lsou Hkh LokLF; ds fy, gkfudkjd gS] fo'ks"k :i ls blds yr iM tkus ijA

¼Lkst; % mRrjk[k.M ifyl }kjk gj Lrj ij ifyldfe;ksa dks nh tkus okyh v/;;u iqfLrdk ds dN va'k½

पृष्ठ 1 dk शेष ....

ds fy, ftEenkj gS]

, xokgks ds fy, dkbZ fo'k"k lj{kk@ikek'ku Ldhe dk u gkuk@turk ls lcr ,df=r djus ds fy, okf{kr lgk;rk ds fy, dkuu dk u gkuk]

, tehu ds cVokjs dk lfuf'pr djus ds fy, fdlh dkuu dk u gkuk vkSj iR;d cnyss gq, ekfyd ds lkFk tujy ikoj vkQ vVuhZ tSls fooknkLin nLrkost dk gkuk] vkSj

, dbZ dsl esa vijk/k ds vuqikr esa n.M de gkuk tSls&tvk vf/kfu;e ds vrxr vkfnA mijkDr ds vykok] fuEufyf[kr vkrfjd lelL;k,a gS%

, fo'ks"kKrk dh vo/kkj.kk dh deh

, Ykxkrkj 24 ?k.Vs dh pkdlh ds fy, vi;kIr ifylcy]

, fofo/k fu;=.k o vuq'kklu lEcfU/kr vf/kdkjh

, vi;kIr कोष

, cxj vuqikfrd rU[okg ds 0;kid 'kfDr vkSj ftEenkjh ls njkpkj iuirk gS] vkSj

, ykxrkj c<rh turk dh vis{kk,a vkfnA

नीति के स्तर पर कौन से क्षेत्र हैं जहाँ बदलाव की आवश्यकता है? अगर आपको बदलाव करने की खुली छूट हो तो आप पुलिस के कार्य निष्पादन को बेहतर करने के लिए किन बदलावों की सलाह देंगे?

ifyflx ds dbZ igyw vkSj vk;ke gSA tgk¡ jkT; dh lqj{kk 'kkfey gks ogha ,lh vkUrfjd lqj{kk dk jk"Vªh; Lrj ij lEcU/ku gkuk pkfg,A ,sls LFkkuks dh dkuu&0;oLFkk dk rqjUr gh ,d cgn vPNk lkeatL; j[kus okyh jk"Vªh; fudk; }kjk miyC/k lkof/kd 0;okLFk;d 0;fDr;ks }kjk rc rd lHkkyk tkuk pkfg, tc rd fLFkfr iwjh rjg fu;=.k esa u vk tk,A

bls vykok vf/kd ifyl ;quofclVh gkuh pkfg, tk ifyflx lEcfU/kr leL;kvks vkSj cgrj ifØ;kvks rFkk midj.kks dk miyC/k djus ds fy, vkrfjd Lrj ij 'kks/k dj ldsA blds vykok indkUufr] fu;fDr vkSj gLrkrj.k esa ikjnf'krk dh 0;oLFkk gkuh pkfg,A

आपके नेतृत्व वाले शहरों में जिला और थाना स्तर की पुलिस द्वारा समुदाय और पुलिस के बीच सम्बन्धों की बेहतरी के लिए क्या विशष कदम उठाये गये हैं?

lHkh lsDVjks esa fu;fer :i ls LFkkuh; turk ds lkFk ehVhx dh tkrh gS ftUgsa viuh ,lfl,'ku Hkh cuk yh gS] jkM lqj{kk lxBu tkfd viuh tkudkfj;k ckVrs jgrs gSa, mUgs {k= esa cgrj ifyflx ds fy, lwpuk fd;k tkrk gSA {k= ds dk;dÙkkvks ds }kjk ubZ miyC/k;ks ds ckjs esa ehfM;k ds ykxks dk Hkh fu;fer :i ls tkudkjh nh tkrh gSA

कई स्थानों पर थाना प्रभारियों को ijdk'k flag ds dsl में पुलिस सुधार पर उच्चतम न्यायालय के दिशा–निर्देशों के बारे में जानकारी नहीं, क्या आपके विचार में थाना स्तर के पुलिसकर्मियों को इसकी जानकारी होनी चाहिए ताकि वे अपने लिए निश्चित कार्यकाल आदि की मांग कर सकें? या, ये दिशा–निर्देश पुलिस सुधार के लिए अनावश्यक हैं?

gfj;k.kk esa] vf/kdrj Fkkuks v/;{k bl iDVj Lrj ds vf/kdkjh gS vkSj bu fn'kk funs'kks dh tkudkjh mUgs Hkh gSA ;g vyx ckr gS fd lc ykxks Li"V :i ls 0;Dr ugha dj ikrs gS vkSj blls ,sls yx ldrk gS fd mUgs blds tkudkjh ugh gSA D;kfd] ifyflx jkT; dk fo"k; gS blfy, gj jkT; esa bu fn'kk&funs'kks dk ykxw djus dh fLFkfr vyx&vyx gSA lHkh jkT;ks esa vc Hkh cgr dN fd;k tkuk ckfd gSA निश्चित रूप से ये दिशा–निर्देश सही दिशा में उठाया गया एक कदम है।

निचले स्तर के पुलिसकर्मियों के रुझान में बदलाव के लिए क्या करने की जरूरत है?

fupys Lrj ds ifyldfe;ksa ds :>ku esa cnyko ykus vkSj ifyflx esa lq/kkj djus ds fy, mijkDr mYYkf[kr uhfr Lrj ds fu.k;ks dh vko';drk gSA

क्या आपके विचार में आठ घण्टों के शिफ्ट सिस्टम को लागू किया जाना चाहिए? क्या इससे पुलिसकर्मियों के कार्य–निष्पादन में सुधार आएगा?

,lk djus ls lHkh ifyldeh cgqn [k'k gkxs vkSj oLrqr es os blds fy, 0;xzr ls bartkj dj jg gSA ;g ,d vPNk ,lk mik; gS ftlds vxj ykxw dj fn;k tk, rks blls viuh n'kk esa ifyl ds crko esa gkus okyh dbZ dfe;ksa dks nj fd;k tk ldxkA blls u doy ifje.kkRed l/kkj vk,xk cfYd okf{kr fn'kk esa xq.kkRed cnyko Hkh gksxkA

अंत में, ykd ifyl के बारे में अपने विचारों से अवगत करायें, क्या यह पुलिसकर्मियों की जानकारी बढ़ाने के लिए एक लाभदायक श्रोत है?

;ह ,d cgn vPNh 'k:vkr gSA lh-,p-vkj-vkbZ- i'kalk dh ik= gSA कृप;k blds izlkj c<k;s rkfd vf/kdre ykHk gks ldsA dher cpkus ds fy, fofHkUu jkT;ks esa ukMy vQlj;ks dk bl&dkiih Hkst tkuh pkfg,A

D;k vki tkurs gSa\

इस श्रृंखला के अंतर्गत, मई के महीने से हम गृह मंत्रालय द्वारा 'साम्प्रदायिक सद्भावना' से सम्बन्धित जारी दिशा–निर्देशों के कुछ अंश प्रत्येक अंक में प्रस्तुत करते आ रहे हैं। इस श्रृंखला में यह अंतिम कड़ी है। हमने इन दिशा–निर्देशों को हमेशा ज्यों का त्यों इसलिए प्रस्तुत किया है ताकि आप इस पर अपना मत विकसित कर सकें और इनका कितना पालन आपके राज्य में दिखाई पड़ता है, हमें भी इससे अवगत करायें। हमें आपके विचारों का इंतज़ार रहेगा।

lkeiznkf;d lnHkkouk ij x`g e=ky; }kjk tkjh fn'kk&funZ'k

8- कार्यान्वयन क्रिया और केसों की मॉनिटरिंग

8-1- जब भी किसी साम्प्रदायिक घटना का डर होता है या घटना घटती है, शीघ्र और तुरंत रोकथाम/प्रवर्तन सम्बन्धी कार्य किये जा सकते हैं, जिसमें निषेधात्मक आदेश/कर्फ्यू आदेश शामिल हैं, आवश्यकतानुसार इसका सख़्ती और निष्पक्ष रूप से कार्यान्वयन किया जाना चाहिए, सम्भावित बदमाश जो आगजनी, हिंसा आदि में संलग्न हों, को पकड़ना/गिरफ़्तार करना, केसों की शुरुआत करना/दर्ज करना।

8-2- साम्प्रदायिक हिंसा/दंगों से सम्बन्धित केसों की निगरानी (मॉनिटरिंग) सावधानीपूर्वक की जानी चाहिए और जहाँ आवश्यक हो निष्पक्ष और साफ़ जाँच को सुनिश्चित करने के लिए विशेष जाँच टीम बनाए जाने की आवश्यकता है।

8-3- सम्बन्धित राज्य सरकार अगर चाहे तो उपरोक्त केसों के उचित अभियोजन तथा इनकी प्रबलता से सुनवाई के लिए विशेष सरकारी वकील की नियुक्ति कर सकती है। ऐसे सभी केसों की निगरानी ज़िला तथा राज्य स्तर पर की जानी चाहिए।

8-4- जहाँ परिस्थिति की मांग हो, साम्प्रदायिक केसों में जल्दी मुकदमे तथा इनके शीघ्र निपटारे के लिए स्पेशल अदालतों की स्थापना की जा सकती है। जब कोई साम्प्रदायिक दंगा होता है और इंक्वायरी कमिटी/कमीशन की स्थापना की जाती है, इसे अपनी इंक्वायरी पूरी करने के लिए एक समय सीमा दी जानी चाहिए। राज्य सरकार को चाहिए कि वह कमिटी/कमीशन को उचित और आवश्यक सहायता प्रदान करे ताकि वह अपनी रिपोर्ट समय पर जमा कर सकें। इसकी सिफ़ारिशों को शीघ्र लागू किया जाना चाहिए, तकरीबन तीन महीनों के भीतर और केन्द्र सरकार को इसके बारे में सुचित किया जाना चाहिए।

9- राहत और पुर्नसुधार

9-1- दंगा पीड़ितों को राहत/तुरंत वित्तीय सहायता न मिलने से उनमें आक्रोश उत्पन्न हो जाता है। इस सहायता के शीघ्र संवितरण के लिए एक व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। साम्प्रदायिक हिंसा के कारण नुकसान सहने वाले लोगों को तुरंत अग्रिम सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

9-2- साम्प्रदायिक हिंसा के पीड़ितों को सहायता और राहत पहुँचाने में, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इसमें लिंग, जाति, समुदाय, वंशज या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाए।

9-3- ज़िला प्रशासन को साम्प्रदायिक हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक वस्तूओं/सेवाओं जैसे कि, खाना, दूध, दवाईयों, पानी और बिजली आदि का इंतजाम सुनिश्चित करना चाहिए।

9-4- जब भी सहायता शिविर लगाना आवश्यक हो जाए, सुरक्षा और दूसरे आश्यक सुविधाओं का उचित प्रबन्ध किया जाना चाहिए, जिसमें मेडिकल जाँच/सहायता आदि भी शामिल है।

9-5- रिहाईशी और व्यवसायिक सम्पत्ति के नुकसान की स्थिति में अगर आवश्यक हो तो, बीमा दावों या वित्तीय संस्थानों द्वारा कर्ज देने/पुनर्निर्धारण आदि के रूप में सहायता प्रदान करने के लिए शीघ्र निपटारे की यंत्रावलि विकसित की जानी चाहिए।

9-6- केन्द्र सरकार ने आतंकवादी हमले तथा साम्प्रदायिक हिंसा के कारण पीड़ित लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए तुरंत दी जानी वाली सहायता के अलावा प्रभावित व्यक्तियों के परिवारों को, एक बार 3 लाख रुपये की सहायता देने के लिए केन्द्रीय स्कीम की शुरुआत की है। इस स्कीम के उचित कार्यान्वयन के लिए सही इंतजाम किया जाना चाहिए।

प्रस्तुति : ज़ीनत मलिक

iqfyl vkSj Xkqe'kqnk cPpksa dh ryk'kh

होरीलाल नामक व्यक्ति ने अपनी गुमशुदा नाबालिग बच्ची के गुम होने की रिपोर्ट कराने के डेढ़ साल बाद भी दिल्ली पुलिस द्वारा उसका पता लगाने में असमर्थ होने पर उच्चतम न्यायालय में जनवरी 1997 में रिट याचिका दायर की। लेकिन, फिर भी कई निर्देशों के बावजूद पुलिस उसका पता लगाने में नाकाम रही। इसी दौरान 14 नवम्बर 2002 को तकरीबन 15 साल बाद सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने gksjhyky cuke dfe'uj vkWQ iqfyl fnYyh o vU; ds dsl में गुमशुदा/अपहरित नाबालिग बच्चियों के केस में उन्हें प्रभावपूर्ण तरीके से ढूंढ़ने के लिए देश के सभी जाँच अधिकारियों द्वारा निम्नलिखित कदम उठाने का आदेश दिया :–

1- गुमशुदा लड़की का फोटो अख़बार में छपवायें, उसे तुरंत टी.वी. पर प्रसारित करवायें और इसमें शिकायत मिलने के एक सप्ताह से अधिक समय नहीं लगना चाहिए। गुमशुदा व्यक्ति के फोटोग्राफ का व्यापक प्रसार किया जाना चाहिए शाहर/गाँव/टाऊन सम्बन्धित रेलवे स्टेशन, अंतर्राज्यीय बस अड्डों, हवाई अड्डों, स्थानीय पासपोर्ट कार्यालय और कानून लागू करने वाली ऐजेंसियों द्वारा सीमाओं के चेकपोस्ट पर तुरंत भेजना चाहिए। यह तुरंत किया जाना चाहिए और शिकायत प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर अवश्य ही किया जाना चाहिए। लेकिन नाबालिग/व्यस्क लड़की के मामले में अभिभावक या माता पिता के लिखित आज्ञा के बाद ही ऐसा करना चाहिए।

2- गुमशुदा लड़की के पड़ोस में, काम/पढ़ाई की जगह पर, सहेलियों, साथियों, सहकर्मियों, रिश्तेदारों से तुरंत पूछ–ताछ की जानी चाहिए। उसी प्रकार कागज और गुमशुदा व्यक्ति के सामान से प्राप्त सुराग की तुरंत जाँच की जानी चाहिए।

3- गुमशुदा व्यक्ति के सबसे नये स्कूल / शैक्षणिक संस्थान के प्रिन्सिपल, क्लास टीचर को सम्पर्क करें। अगर गुमशुदा लड़की/महिला कहीं नौकरी करती थी, तो उसके सबसे नए सहकर्मियों, नियोजक, मालिक को सम्पर्क करें।

4- गुमशुदा लड़की/महिला के विस्तृत परिवार के रिश्तेदारों, पड़ोसियों, स्कूल टीचरों और स्कूल के दोस्तों से पूछ–ताछ करें।

5- इस बात की पूछ–ताछ करें कि क्या परिवार में पूर्व हिंसा की कोई घटना या रिपोर्ट की गई है।

इसके बाद जाँच अधिकारी/एजेंसी निम्न कदम उठायेंगे :–

(क) कर्मठतापूर्वक यह सुनिश्चित करेंगे कि जो जानकारी माता–पिता से मांगी गई थी वह उनसे प्राप्त कर ली गई है और सुराग के लिए उसका परीक्षण करेंगे।

(ख) शिकायत मिलने के तुरंत बाद अस्पतालों और मुर्दाघरों की तलाशी ली जानी चाहिए।

(ग) गुमशुदा व्यक्ति के बारे में सुराग देने वाले को ईनाम देने की घोषणा उसके गुम होने के एक महीने के भीतर कर देनी चाहिए।

(घ) समान रूप से नोटिस भी गुमशुदगी के एक महीने के भीतर दी जानी चाहिए।

(ङ) जहाँ तक सम्भव हो जाँच, महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही किया जाना चाहिए।

(च) सम्बन्धित पुलिस कमिश्नर या राज्य पुलिस के डी.आई.जी./आई.जी. गुमशुदा लड़कियों व महिलाओं का पता लगाने के लिए एक मल्टी टास्क फोर्स की स्थापना करने की राह निकालेंगे।

(छ) साथ ही, दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता व चेन्नई जैसे महानगरों में जाँच अधिकारी वैश्यावृत्ति वाले इलाकों में तुरंत इसकी जाँच करेंगे और नाबालिग लड़कियों का पता लगायेंगे। अगर कोई नाबालिग लड़की पाई जाती है (चाहे वह वर्तमान समय में लाई गई हो या नहीं), तो उसकी आज्ञा लेकर किशोर न्याय (देखरेख व सुरक्षा) अधिनियम 2000 की धारा 34 के अंतर्गत उसे बाल गृह में रखा जाए। जाँच अधिकारी सभी मेडीकल/अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उचित कदम उठाएगा।

इसके साथ ही अदालत ने इस आदेश को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों तक पहुँचाने का भी निर्देश दिया है।

इसके बावजूद, उपरोक्त दिशा–निर्देशों का कार्यान्वयन अब तक नहीं हुआ है जिसका ख़मियाज़ा हर दिन कोई न कोई परिवार अपने बच्चे की गुमशुदगी से भुगतने पर मजबूर है।

प्रस्तुति : ज़ीनत मलिक

vki ds fopkj

lEiknd egksn;k] ueLdkj!

Ykkd ifyl ds ebZ vad esa ^D;k vki tkurs gSa* ds vUrxZr lkEiznkf;d lnHkkouk ij x`g ea=ky; }kjk tkjh fn'kk&funsZ'kksa ds dN va'k i<us dk feykA blds fuokjd mik;ksa ds vUrxZr ftyk iz'kklu rFkk iqfyl ds nkf;Roksa ds ckjs esa egRoiw.kZ tkudkfj;ka izkIr gqbZA gkykafd] vkerkSj ij budk iwjh rjg ikyu gksrk fn[kkbZ ugha iM+rk gSA fQj Hkh] iqfyl eq[kfcjksa ls dkQh vPNh tkudkfj;ka izkIr djrh gS tks mudss dke esa ykHknk;d gksrk gSA ysfdu] vktdy mudk fo'okl iqfyl ij dN de gksrk gqvk fn[kkbZ iM+ jgk gSA blds ckjs esa esjk >yxrk gS gesa mUgsa dN igpkui= vkfn nsuk pkfg,] vkSj tks yksx yxkrkj iqfyl dks lpuk nsrs jgrs gSa mUgsa ,d U;wure fuf'pr ekuns; Hkh nsuk pkfg,A bl if=dk esa ,slh tkudkfj;ksa dk lekos'k cgqr ljkguh; gSA

/kU;okn!
bLiSDVj] tk/kiqj
lnL;] jktLFkku iqfyl

Ëtgkn;]

gekjs Fkkus esa ykd ifyl if=dk igyh ckj ns[kus dks feyh] ;g twu 2012 vad gSA blls igys ;g gekjs ;gka ugha igqprh FkhA viuas jkT; ds iqfyl egkfuns'kd ls lk{kkRdkj i<dj cgqr vPNk yxkA ysfdu] eSa ,d ckr dguk pkgrk gw¡ vki ykx vkSj ehfM;k gekjs jkT; esa iqfyfl x ds dkeksa esa ekuokf/kdkjksa ds guu dks ekeyksa dks gesa'kk mtkxj djrs gS] tcfd blds ,d eq[; dkj.k gS ;gka fd fo'kky tula[;k vkSj mlesa dke dh vf/kdrk dk gksukA gesa Hkh ykxksa ds lkFk l[rh ls is'k vkuk vPNk ugha yxrk, ysfdu ykxksa dh ekax ds vuqlkj tYnh dsl gy djus ds fy, dbZ ckj dkuwu ls vkxs c<uk iM+rk gSA ysfdu] /khjs&/khjs ,sls dslksa esa deh vk,xh D;kasfd iqfyl Lo;a Hkh ,slh ckrksa ls cpuk yxh gSA ;g esjs viuu fopkj gSa vkSj esa viuh igpku xksiuh; j[kuk pkgrk gSA

/kU;okn!

gM dkULVscy] esjB
mRrj izns'k iqfyl

ifyl lekpkj & gj dksus dh gypy

100 fnuks es 0;ogkj es cnyko!

उड़ीसा के नए डी.जी.पी. श्री प्रकाश मिश्रा ने जुलाई के पहले सप्ताह में अपना कार्यालय संभालते ही थानों में पुलिस द्वारा जनता के साथ असभ्य बर्ताव के बारे में कड़ा रवैया अपनाते हुए पुलिसकर्मियों को सुधार के लिए 100 दिनों का समय दिया है। उन्होंने कहा “मुझे 100 दिन दें और आपको इनके रुझान में अन्तर दिखेगा”। हांलाकि, अपने दिए हुए समय सीमा के अन्दर थाना स्तर के पुलिसकर्मियों के रुझान में बदलाव लाने का क्या तरीका होगा इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। दरअसल, राज्य डी.जी.पी. द्वारा सुधार के लिए कड़ा रवैया अपनाने का कारण हाल ही में हिरासत में हुई दो कथित हत्याओं के केस के कारण भी था। 100 दिनों के भीतर पुलिसकर्मियों के आम व्यवहार में अगर साकारात्मक बदलाव आ भी जाते हैं तो भी यह र्प्याप्त नहीं है। हिरासत में हत्या होने का अर्थ यह है कि पुलिसकर्मी कानून द्वारा दिऐ गए अधिकारों का दुरुप्योग कर रहे हैं और कानूनों को तोड़ कर स्वंय अपराध कर रहे हैं, इसलिए ऐसे पुलिसकर्मियों पर विभागीय और आपराधिक कार्यवाही करने की आवश्यकता है ताकि दूसरों के लिए कठोर उदाहरण सिद्ध हो सके।

¼LkktU; % VkbEl vkQ bfM;k MkV bfM;k VkbEl MkV dke 9 tykb 2012½

efgyk ifyldfeZ;ksdsfy, ikB'kkyk

चेन्नई में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि यहाँ महिला पुलिसकर्मियों के लिए परामर्श सत्र का आयोजन किया जाएगा ताकि उन्हें महिलाओं से सम्बन्धित मामलों में पीड़िताओं के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना है और शिकायतकर्ताओं के साथ सम्बन्ध कैसे अच्छे रखने हैं यह सब सिखाया जाएगा। दरअसल, ऐसा कहा जा रहा है कि यह आयोजन करवाने की आवश्यकता तब पड़ी जब कुछ शिकायतकर्ताओं ने पूछ–ताछ और रिपोर्ट दर्ज करवाने के समय उनके साथ पुलिसकर्मियों द्वारा अच्छे बर्ताव न होने की शिकायत की थी। 'इस प्रशिक्षण में अधिकतर पुलिसकर्मी महिला थानों से होंगी क्योंकि उन्हें प्रतिदिन महिलाओं से सम्बन्धित केसों से निपटना पड़ता है। सबसे vf/kd bu ifyldfe;ksa dk bldh vko';drk gA blfy,] महिलाओं की समस्याओं के प्रति जागरुकता को उनके प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाएगा। समाज सेविका श्रीमति वर्शिणी रविचंद्रन के अनुसार कांस्टेबल स्तर की महिलाएं आम तौर पर देहात के ईलाकों से आती हैं जिनकी भर्ती एक लिखित परीक्षा और शारीरिक योग्यता टेस्ट के बाद हो जाती है और उन्हें काफी कठिन काम करने पड़ते हैं। यह उनके काम के लिए काफी नहीं होता है, परामर्श सत्र उन्हें महिला पीड़ितों की मदद करने में बहुत हद तक कारगर हो सकता है, खासकर बलात्कार पीड़ितों के केसों में। तकरीबन 50% केसों पर विश्वास नहीं किया जाता है, हमें इस रुझान को बदलना है।' वडापालानी की एक महिला थाना कि सेवानिवृत्त महिला इंस्पेक्टर के अनुसार 'एक वरिष्ठ महिला पुलिस अधिकारी कुछ ही क्षणों में केस की सत्यता के विषय में निर्णय ले सकती हैं।' जहाँ वर्तमान स्थिति में महिला पुलिसकर्मियों के व्यवहारिक ज्ञान को बढ़ाने की यह एक अच्छी कोशिश है वहीं महिलाओं से सम्बन्धित केसों में संवेदनशीलता पूर्वक व्यवहार करना सिखाए जाने की आवश्यकता भी है।

¼LkktU;% VkbEl vkQ bfM;k MkV bfM;k VkbEl MkV dke 19 tykb 2012½

Ekfgyk ifyldfeZ;ksdh deh dks iwjk djusdh dks'k'k!

तमिलनाडू के डी.आई.जी. पुलिस श्री डी. शुक्ला ने संकेत दिया कि 2&3 महीनों में वहाँ सम्भवतः एक विशेष भर्त्ती प्रक्रिया की शुरुआत की जाएगी जिसमें महिला कांस्टेबलों के रिक्त स्थान को भरा जाएगा। श्री शुक्ला के अनुसार यह भर्त्ती प्रक्रिया 750 रिक्त स्थानों को भरने के लिए है, जिसमें 400 होम गार्ड, 200 इंडियन रिजर्व बटालियन और 26 जेल वार्डरों की भर्त्ती शामिल होगी। 22 जुलाई 2012 को हुए भर्त्ती टेस्ट में, अधिकतर महिला आवेदक शारीरिक योग्यता टेस्ट में असफल हो गई क्योंकि इसमें सफल होने के कठोर मानक थे। पूरी शारीरिक टेस्ट की प्रक्रिया को सी.सी.टी.वी. कैमरे पर रिकॉर्ड किया गया। कुल 1750 आवेदकों में से केवल 18 महिलाएं आवेदक ही इस टेस्ट में सफ़ल होकर लिखित परीक्षा में भाग ले सकीं। श्री शुक्ला ने बताया कि विशेष भर्त्ती प्रक्रिया की शुरुआत से पहले वे लोग सी.सी.टी.वी. कैमरे में रिकॉर्ड किये गये भाग के आधार पर शारीरिक योग्यता के मापदण्डों का आकलन करेंगे। तमिलनाडू में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। इसलिए यहाँ इस नीति पर अति शीघ्र विचार करने और इसमें बदलाव करने की आवश्यकता है ताकि महिलाएं अधिक से अधिक संख्या में सफल हो सकें। लेकिन यह आवश्यकता केवल यहीं नहीं है और न केवल महिला पुलिसकर्मियों के लिए है, बल्कि सभी राज्यों में भर्त्ती के समय शारीरिक योग्याता पर अत्यधिक बल देने की आवश्यकता पर पुनर्विचार करना ज़रूरी है।

¼LkktU; % vkb ch ,u ykbo MkV bu MkV dke 25 tykb 2012½

ifyldfeZ;ks ds fy, gsYiykbZu!

महाराष्ट्र में गडचिरोली पुलिस ने अपने पुलिसकर्मियों की शिकायतों की सुनवाई के लिए 'समाधान कक्ष' नामक हेल्पलाईन की स्थापना की। इसका उदघाट्न जुलाई के अंतिम सप्ताह में वहाँ के कलेक्टर श्री अभिषेक कृष्णा द्वारा इस रेंज के डी.आई.जी. तथा एस.पी. की उपस्थिति में किया। इस शुरुआत को प्रगतिशील बताते हुए डी. आई.जी. श्री रविन्द्र कदम ने विश्वास जताया की पुलिसकर्मी इस सेवा का लाभ उठाएंगे। एस. पी. श्री सुवेज़ हक़ ने बताया कि 'शिकायतों को फोन पर दर्ज किया जाएगा और उसे सम्बन्धित विभाग में निपटारे के लिए भेज दिया जाएगा, जहाँ से इसका निपटारा 7 दिनों के अन्दर हो जाएगा।'

सेन्टर द्वार शिकायतकर्त्ता को की गई कार्यवाही की सूचना भी दी जाएगी। इससे पुलिसकर्मियों के कीमती समय में बचत होगी जिन्हें छोटी–छोटी बातों के लिए मुख्यालयों में भागना पड़ता था। कलेक्टर श्री कृष्णा ने इस कदम की तारीफ़ करते हुए कहा कि इससे दूर दराज़ के इलाकों में रहने वाले पुलिसकर्मियों को मदद मिलेगी। साथ ही उन्होंने तहसील स्तर के सरकारी कर्मचारियों के लिए इसी प्रकार के हेल्पलाईन की शुरुआत करने के बारे में बताया। आशा है, पुलिसकर्मियों को अपनी शिकायतों पर कार्यवाही करवाने में इस हेल्पलाईन से काफी मदद मिलेगी। हो सकता है, जल्दी ही सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए भी समान सेवा शुरू हो जाए।

¼LkktU; % n VkbEl vkQ bfM;k MkV bfM;k VkbEl MkV dke 27 tykb 2012½

dsjy es lHkh iapk;rks ds fy, Fkkuk

राज्य गृहमंत्री के अनुसार सभी पंचायतों में थाने की स्थापना करने का प्रस्ताव अभी सरकार के पास विचाराधीन है क्योंकि इसके साथ ही थानों, सर्कल और सब डिवीजनों की सीमा रेखा को दोबारा बनाए जाने की मांग की गई। उन्होंने जुलाई के अंतिम सप्ताह में केरल पुलिस अफसरों की एसोसिएशन द्वारा राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करते हुए बताया कि सरकार थानों, सर्कलों और सब डिवीजन की क्षेत्र सीमा को दोहराने के प्रस्ताव पर चर्चा करेगी। सरकार सिद्धांत के स्तर पर एसोसिएशन के कानून –व्यवस्था और जाँच करने वाली पुलिस को अलग करने की मांग को भी स्वीकार कर लिया है। साथ ही, कुछ थानों में लागू 8 घण्टों की शिफ़्ट व्यवस्था को फण्ड की उपलब्धता के आधार पर, भर्त्ती के अनुसार दूसरे थानों में भी बढ़ाया जाएगा। एसोसिएशन द्वारा तैयार किये गये 43 बिन्दुओं के एक डिमाण्ड चार्टर को मंत्री महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसमें से कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इसमें मांगी गई चौथे ग्रेड के पुलिसकर्मियों की पदोन्नति की बात पर उन्होंने कहा कि वे वित्त मंत्रालय से इसके कार्यान्वयन के बारे में चर्चा करेंगे। उनके अनुसार 'सरकार पदोन्नति में विलम्ब न हो यह कोशिश भी करेगी।' इस दौरान जहाँ उन्होंने पुलिसिंग के अहम मुद्दों पर अपनी सहमति दी वहीं पुलिसकर्मियों को उनके संविधान और कानून द्वारा दिए गए कर्तव्यों को पूरा करने, अपराधियों पर नियंत्रण करने और प्रजातंत्र को मजबूती देने वालों को सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी की भी याद दिलाई। नैतिक पुलिसिंग करके कानून को अपने हांथ में लेने वालों के साथ अपराधियों के जैसे ही व्यवहार करने की नसीहत भी दी। इसके अलावा प्रत्येक पुलिसकर्मी की सुरक्षा को सरकार का दायित्व बताया।

¼LkktU; % n fgUnw MkV dke 29 tykb 2012½